न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

पीठासीन अधिकारी : – श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS)

वादपत्र संख्या **76 / 2018** दायर तारीख 29 / 12 / 2018

अनवान

01. मोहनलाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

............वादी

बनाम

01. प्यारचन्द पिता जगन्नाथ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

02. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

.........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री जगदीशचन्द्र धाकड़ – अधिवक्ता वादी
2. अनिल कुमार धाकड़ – अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 का0 अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 29 / 12 / 2021

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 03.09.2019 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर **ग्राम देवगढ** पटवार हल्का **गणेशपुरा स्थित आराजी नं0 90 रकबा 0–05 बीघा, आराजी नं0 93 रकबा 4–03 बीघा कुल किता 2 रकबा 4–08 बीघा** भूमि का विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेश पारित किये गयें। तहसीलदार बिजौलियां ने पक्षकारान की उपस्थिति मे प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्रांक / राजस्व / 2020 / 288 दिनांक 03.03.2020 को प्रस्तुत कियें गये जो जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाडा

अतः वादगण पत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम **अन्तिम रूप से डिक्री** किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (बीघा में)	लगान
01	मोहनलाल जगन्नाथ धाकड़ सा. गणेशपुरा खातेदार	देवगढ	93/1	2–04	1.10
	योग		**किता 01**	**2–04**	**1.10**
02	प्यारचन्द पिता जगन्नाथ धाकड़ सा. गणेशपुरा खातेदार	देवगढ	90 93/2	0–05 1–19	0.13 0.98
	योग		**किता 02**	**2–04**	**1.11**

उक्तानुसार **अन्तिम डिक्री** जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशीयल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 29.**12.2021** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जि. भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/11/21	प्रकरण प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 में पेश हुई पक्षकार वादी/प्रतिवादी हाजिर/गैर हाजिर पक्षकारों में सहमति नहीं करने से राजीनामा नहीं हो सका। पत्रावली दि.22.12.21को वास्ते..बहस.......पेश हो। (उपखण्ड अधिकारी) बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)	
21/12/21	पत्रावली पेश हुई [illegible] [illegible] दिनांक 22.12.21 बहस पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
22/12/21	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थिति। वकीलवादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 29/12/21 को पेश हो।	
29/12/21	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थिति। पत्रावली मे पूर्व मे बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अत: वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 स्वीकार किया जाता है। निर्णय व डिक्री पृथक. से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा	